



उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालय: 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक : 1281/2042-0008/16

दिनांक : 24/06/2016

सेवा में

मुख्य अभियंता(फैजाबाद क्षेत्र)
उत्तर प्रदेश जल निगम
फैजाबाद।

विषय :- केन्द्र पोषित मल्टी सेक्टरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद बहराईच की 07 पाइप पेयजल योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त द्वितीय किश्त की धनराशि के धनावंटन के संबंध में महोदय,

मल्टी सेक्टरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत शासनादेश सं.-1835/2016-52-1-2016-01(121)/1 दिनांक 29.07.16 द्वारा जनपद बहराईच में 07 पाइप पेयजल योजनाओं हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू० 994.76 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके सापेक्ष अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ० प्र० के पत्रांक 2134/अ०स०क०नि०/उ० जल निगम/2016/17 दिनांक 29.08.16 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू० 994.76 लाख की धनराशि उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की गई है।

उक्त अनुसार जनपद बहराईच हेतु रू० 994.76 लाख की धनराशि प्रधान कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं.-680/2313-0001/बजट/2016-17 दिनांक 16.09.16 द्वारा क्षेत्र को अवमुक्त कर दी गयी है। अवमुक्त धनराशि सम्मिलित सेन्टेज की धनराशि क्षेत्र द्वारा प्रधान कार्यालय को वापस करनी होगी।

कृपया सम्बन्धित जनपद को संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि तत्काल अवमुक्त कराने का कष्ट करें।

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	परिशिष्ट-क के अनुसार (रू० लाख में)
1	फैजाबाद	994.76

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अ० एम० त्रिपाठी)
मुख्य अभियंता(ग्रामीण)

पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 2 निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ० प्र०, 620-इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 3 मुख्य लेखाधिकारी, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ को उनके कार्यालय ज्ञाप सं.-680/2313-0001/बजट/2016-17 दिनांक 16.09.16 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 अधीक्षण अभियंता(ग्रामीण-1), उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 5 अधिशासी अभियंता(ई०डी०पी०सेल), उ० प्र० जल निगम लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे जल निगम की वेब-साइट पर डलवाने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियंता(ग्रामीण)

